हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 5 जनवरी, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–7 / 2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 5 जनवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2023 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 5 का संशोधन।
3. धारा 7 का संशोधन।

––––––––––

2023 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. धारा 5 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 5 में,–

(क) उप–धारा (1) में,–

(i) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(i) राजस्व घाटा समाप्त करेगी और तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बनाए रखेगी;";

(ii) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ii) राजकोषीय घाटे को, वित्तीय वर्ष 2022–23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक या इससे कम, वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा 2024–25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक या इससे कम और तत्पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक या इससे कम पर बनाए रखेगी:

परन्तु केंद्र सरकार की "पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए योजना" के अन्तर्गत राज्य की आधारभूत संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 50 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण, राजकोषीय घाटे के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट सभी सीमाओं से अधिक अनुमत होगाः

परन्तु यह और कि राजकोषीय घाटा विहित सीमा से अधिक हो सकेगा यदि पिछले वित्तीय वर्ष के किसी भी अप्रयुक्त उधार को आगामी वित्तीय वर्ष (वर्षों) में ले जाया जाता है;" और;

(iii) खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(iii) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ऐसे प्रतिशत के रूप में परादेय ऋण को कम करेगी, जैसा विहित किया जाए;" और;

(ख) उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के खण्ड (i), (ii) तथा (iii) के विभिन्न मानदण्डों के अन्तर्गत निम्नलिखित अवस्थाओं में लक्ष्यों में बढ़ौतरी हो सकेगी,–

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित करने के कारण, राज्य सरकार के वित्त पोषण पर अप्रत्याशित मांगों की दशा में; या

(ख) विकासात्मक और अन्य अपरिहार्य व्यय में वृद्धि के कारण; या

(ग) जब बढ़ी हुई उधार सीमा, यदि कोई हो, की केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमति दी जाती हैः

परन्तु इस उप–धारा के अधीन विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के बारे में विवरण, ऐसे घाटे की रकम के उपरोक्त लक्ष्यों से अधिक होने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा;"।

3. धारा 7 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,–

"3. राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना की समीक्षा करना, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सौंप सकेगी और ऐसी समीक्षा राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी।"।

––––––––––

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों को राजकोषीय प्रबन्धन और राजकोषीय सुदृढ़ता में सावधानी सुनिश्चित करने का उपबन्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान माल और सेवा कर प्रतिकर बंद होने से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुई हैं। कोविड महामारी ने भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में राज्य की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट राजस्व और राजकोषीय लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विकास की गति को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा तय सीमा से अधिक ऋण उठा सकेगी, जिसके लिए पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना की समीक्षा सौंपने के लिए भी संशोधन किया जा रहा है। अतः, उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू),
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :

तारीखः....., 2023

––––––––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 5.
3. Amendment of section 7.

Bill No. 1 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 14 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows: —

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of Section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) in sub-section (1),—

(i) for clause (i), the following shall be substituted, namely:—

"(i) eliminate revenue deficit and maintain revenue surplus thereafter;";

(ii) for clause (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) maintain fiscal deficit of 6 per cent or less of Gross State Domestic Product in the Financial Year 2022-23, 3.5 per cent or less of Gross State Domestic Product in the Financial Years 2023-24 and 2024-25 and at the level of 3 per cent or less of Gross State Domestic Product thereafter:

Provided that interest free loan for a term of fifty years under the "Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure" of the Central Government for financing infrastructure projects of the State, shall be allowed over and above all limits specified for fiscal deficit debt stock:

Provided further that the fiscal deficit may exceed the prescribed limit if any unutilized borrowing of previous financial year is carried forward to subsequent financial year(s);" and;

(iii) for clause (iii), the following shall be substituted, namely:—

"(iii) reduce outstanding debt to the level of such percentage of Gross State Domestic Product, as may be prescribed;"; and

(b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the targets under different parameters of clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (1), may be exceeded in case of,—

(a) unforeseen demands on the finances of the State Government due to reasons of national security or natural calamity declared by the Central Government or the State Government, as the case may be; or

(b) due to increase in developmental and other unavoidable expenditure; or

(c) when increased borrowing limit, if any, is allowed by the Central Government from time to time:

Provided that a statement in respect of the ground or grounds specified under this sub-section shall be placed before the Legislative Assembly, as soon as may be, after such deficit amount exceeds the aforesaid targets.".

3. Amendment of Section 7.—In Section 7 of the principal Act, for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The State Government may entrust the Comptroller and Auditor General of India to review, the compliance of the provisions of this Act in the manner as may be prescribed and such reviews shall be laid on the table of Legislative Assembly of the State.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 was enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure prudence in fiscal management and fiscal stability.The revenue receipts of the State Government have been affected due to discontinuation of Goods and Services Tax Compensation during the financial year 2022-23. The Covid pandemic has also adversely affected income of the State in the previous financial years. This has resulted into adversely affecting revenue and fiscal targets as specified in the said Act.

In order to maintain pace of development, the State Government may have to borrow beyond the existing limit set under the Act for which the Act *ibid* is required to be amended. Further, an amendment is also being carried out to entrust the Comptroller and Auditor General to review the compliance of the provisions of the Act. Therefore, it has become necessary to amend the said Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU),
Chief Minister.

DHARAMSHALA:
THE 2023